पुष्कर

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

प्रा.पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार 25/11/2019

APP-A

Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

गोविन्द राम पुत्र श्री गोकुल जाति गुर्जर। बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र ओ.41 R19 ... धारा 151 सीपीसी (बाज.) नम्बर 447/2019 सन् 2019 (पुष्कर)

2019/00447

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
25.11.19	श्री एन.एस.राजावत श्री राजकीय अभिभाषक।	
	यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री एन.एस.राजावत एडवोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र रिव्यू (धारा 229 आर.टी.एक्ट) को दिनांक 28.08.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के कारण पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी दर्ज रजिस्टर किया जावें।बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।	
	अभिभाषक प्रार्थीगण एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र रिव्यू (धारा 229 आर.टी.एक्ट) का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है।	
	अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थना पत्र रिव्यू (धारा 229 आर.टी.एक्ट) को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	